



॥ श्री ॥

153

श्री-डाक्टर की ओर से
29/10/13
कम ५६५५

माननीय अध्यक्ष/सदस्य महोदय राजव मण्डल, ग्वालीयर
निगरानी याचिका प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत धारा 50 भू राजस्व
संहिता 1959 अनुसार :-

पारसमल पिता सोभागमतजी कोठारी
रती जैन निवासी रतलाम जिला रतलाम
मध्य प्रदेश

R-4154-5113

- - - प्रार्थी

वि

1. विकास पिता कैलाशाचन्द्र जाती पुरोहीत
 2. प्रकाश पिता कैलाशाचन्द्रजी पुरोहीत
- दोनों निवासीयान निचलावास बदनावर
तहसील बदनावर जिला धार म. प्र.

- - - विपक्षी

महोदय ,

निगरानी कर्ता , माननीय अवर आयुक्त महोदय इन्दोर संभाग
झोर इन्दोर के सहायक की राजस्व अपील क्रमांक 636/12 - 13 मे के
आदेशा ॥ निर्णय ॥ दिनांक 3:9:13 जिसकी नकल याचिकाकर्ता के अभि
भाषक को दिनांक 30:9:13 को मिली मिली जो कि यह प्रकरण श्रीमा
न अनुविभागीय अधिकारी महोदय बदनावर के समक्ष की राजस्व प्रथम
अपील क्रमांक 14:/ 12-13 मे के निर्णय दिनांक 25:6:13 जिसकी नकल
अपीलाधी अर्थावक्ता को दिनांक 29:7:13 को मिली जो कि श्रीमान
तहसीलदार महोदय बदनावर के न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 20अ/
6/11 - 12 मे के निर्णय दिनांक 9:1:13 से उत्पन्न हुआ था से -
असन्तुष्ट और दुःखी होकर अपना यह निगरानी अर्ज श्रीमान के समक्ष
निम्न भूमिका एवं आधारों पर प्रस्तुत है :-

व
2-11-13

पारसमल / विकास
R-4154-III/13 (धाल)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>25.10.2017</p>	<p>अवेदक की ओर से सूचना उपरोक्त कोई भी उपाक्षिप्त नहीं। तीन का प्रकार उगाई गई, फिर भी कोई उपाक्षिप्त नहीं। अतः प्रकृत आरम पंजी में बालि किया जाना है।</p>	<p>अवेदक</p>